राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं.11 की धारा 17 का संशोधन.– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973(1973 का अधिनियम सं. 11) की धारा 17 की विद्यमान उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्ः–

''(5) उप–धारा (1) से (4) तक की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, उस पर लागू होने योग्य अधिकतम–सीमा क्षेत्रफल से अधिक कोई भूमि, विहित गैर–कृषिक प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के लिए अर्जित करता हैः

परन्तु ऐसे व्यक्ति को–

(i) ऐसे अर्जन की तारीख से एक वर्ष के भीतर–भीतर उस भूमि के प्रस्तावित गैर–कृषिक उपयोग के लिए संपरिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा; और

(ii) प्रस्तावित गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर–भीतर उस भूमि का प्रस्तावित गैर–कृषिक उपयोग प्रारंभ करना होगा।

(6) उप–धारा (1) से (4) तक की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. .....) के प्रवृत्त होने से पूर्व उस पर लागू होने योग्य अधिकतम–सीमा क्षेत्रफल से अधिक भूमि अर्जित कर ली है, यदि ऐसा व्यक्ति, विहित गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर–भीतर राज्य सरकार को आवेदन करता है और प्रस्तावित गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर–भीतर उस भूमि का प्रस्तावित गैर–कृषिक उपयोग प्रारंभ कर देता है।

(7) यदि उप–धारा (5) या उप–धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप–धारा (5) या, यथास्थिति, उप–धारा (6) के उपबंधों या उप–धारा (5) के अधीन मंजूर किये गये अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करता है तो ऐसा अनुमोदन वापस लिया गया समझा जायेगा और भूमि के गैर–कृषिक उपयोग के लिए भूमि के संपरिवर्तन का आदेश, यदि कोई हो, रद्द किया गया समझा जायेगा और उस व्यक्ति पर उप–धारा (1), (3) और (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों कि उसने ऐसे उल्लंघन की तारीख को भूमि अर्जित की थी।

स्पष्टीकरण.– यह प्रश्न कि इस उप–धारा में यथा निर्दिष्ट उल्लंघन कारित किया गया है या नहीं, राज्य सरकार द्वारा सुना और विनिश्चित किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।''।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकारी भूमि की उपलब्धता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में धीरे–धीरे कम हो रही है, जहां विनिधानकर्ता सामान्यतया अपनी परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए, ऐसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए या राज्य की जनता को सामाजिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण हैं, सरकारी भूमि उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए धीरे–धीरे कठिन होता जा रहा है।

देश में कपंनियों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए कृषिक भूमि के अर्जन के विरूद्व आम वातावरण की दृष्टि से, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के उपबंधों के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित करना भी कठिन होता जा रहा है।

ऐसी स्थिति में, विनिधानकर्ताओं के पास, पारस्परिक रूप से तय की गयी कीमत पर खातेदारों से सीधे ही भूमि क्रय करने का एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। तथापि, विनिधानकर्ता राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन विहित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि खातेदारों से सीधे ही क्रय करने में असमर्थ हैं क्योंकि 1973 के अधिनियम की धारा 17, विहित अधिकतम–सीमाओं से अधिक कृषिक भूमि अर्जित करने से कंपनियों को भी प्रतिषिद्ध करती है। इस उपबंध से उन लोगों को समस्याएं हो रही हैं जो अधिकतम–सीमाओं से अधिक कृषिक भूमि क्रय करने के पश्चात् राज्य में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं और तब कृषिक भूमि को प्रस्तावित गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, राज्य में विनिधान की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

यह राज्य के व्यापक हितों में होगा कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी परियोजना स्थापित करने के लिए अधिकतम–सीमाओं से अधिक कृषिक भूमि क्रय करने और तत्पश्चात् उसे प्रस्तावित गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कराने के लिए अनुज्ञात किया जाये । तथापि, 1973 के अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन राज्य सरकार केवल औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में ही छूट मंजूर कर सकती है। गैर–औद्योगिक परियोजनाएं जैसेकि टाउनशिप/आवासन परियोजनाएं, अवसंरचना–परियोजनाएं जैसेकि सूखे बंदरगाह, बिजली संयत्र, पयर्टन इकाइयां (होटल

और रिसोर्ट), लोक उपयोगिताएं इत्यादि, जो राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हैं, के लिए विहित अधिकतम–सीमाओं से अधिक कृषि भूमियों के क्रय के लिए छूट मंजूर करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। अतः ऐसी भूमियों के संबंध में एकबारीय छूट के लिए उपबंध करने के लिए धारा 17 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। अतः, यह प्रस्तावित है कि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयोजन के लिए अधिकतम–सीमाओं से अधिक कृषि भूमि का क्रय अनुज्ञात करने के लिए व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञा मंजूर करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए धारा 17 में संशोधन किया जाये।

उन व्यक्तियों द्वारा भी समस्याओं का सामना किया जा रहा है जिन्होंने ऊपर–उल्लिखित 1973 के अधिनियम के उपबंधों की जानकारी के अभाव में विहित अधिकतम–सीमा से अधिक कृषिक भूमि, उस भूमि को गैर–कृषिक उपयोग के लिए संपरिवर्तित कराने के आशय से पहले से ही क्रय कर ली है। 1973 के अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसी कृषिक भूमियों के संबंध में छूट मंजूर करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है जो पहले से ही गैर–कृषिक उपयोग के लिए विहित अधिकतम–सीमाओं से अधिक क्रय कर ली गयीं हैं । अतः ऐसी भूमियों के संबंध में एक बारीय छूट का उपबंध करने के लिए धारा 17 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

हेमाराम चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 15 of 2010

THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1973.–After the existing sub-section (4) of section 17 of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973), the following sub-sections shall be added, namely :-

"(5) Nothing in sub-sections (1) to (4) shall apply to a person who acquires, with the prior approval of the State Government or any other authority appointed by it in this behalf, any land in excess of the ceiling area applicable to him, to be used for any of the prescribed non-agricultural purposes :

Provided that such person shall have to-

(i) apply for conversion of the land for the proposed non-agricultural use within one year from the date of such acquisition; and

(ii) commence the proposed non-agricultural use of the land within a period of three years

from the date of conversion of the land for the proposed non-agricultural purpose.

(6) Nothing in sub-sections (1) to (4) shall apply to a person who has acquired, before the coming into force of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2010(Act No. ….. of 2010), land in excess of the ceiling area applicable to him, if such person applies to the State Government, within one year of the coming into force of the aforesaid Act, for conversion of the land for the prescribed non-agricultural purpose and commences the proposed non-agricultural use of the land within a period of three years from the date of conversion of the land for the proposed non-agricultural purpose.

(7) If the person referred to in sub-section (5) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5) or sub-section (6), as the case may be, or the conditions, if any, specified in the approval granted under sub-section (5), the approval shall be deemed to have been withdrawn, and the order of conversion of land for non-agricultural use, if any, shall be deemed to have been cancelled and the provisions of sub-sections (1), (3) and (4) shall apply to him *mutatis mutandis* as if he had acquired the land on the date of such contravention.

Explanation.-The question as to whether the contravention as referred to in this sub-section has been committed or not shall be heard and decided by the State Government whose decision thereon shall be final.".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Availability of government land is gradually diminishing, especially in those areas where the investors usually want to set up their projects. Therefore, it is gradually becoming difficult for the State Government to provide government land for various projects which are important for the economic development of the State or for providing social infrastructure to the people of the State.

In view of the general environment in the country against acquisition of agricultural land for use by Companies it is also becoming difficult to acquire land for such projects under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act. No. 1 of 1894).

In such a situation, the only option available with the investors is to directly purchase the land from the khatedars on payment at mutually agreed price. However, the investors are unable to purchase agricultural land directly from the khatedars land beyond the maximum limits prescribed under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 because section 17 of the Act of 1973 prohibits even Companies from acquiring agricultural land beyond the prescribed ceiling limits. This provision is causing problems for those people who want to set up various types of projects in the State after purchasing agricultural land in excess of the ceiling limits and then getting the agricultural land converted for the proposed non-agricultural purpose. In such a situation, the pace of investment in the State is likely to be adversely affected.

It would be in the larger interests of the State to permit such persons to purchase agricultural land in excess of the ceiling limits and thereafter get the same converted for the proposed non-agricultural purpose for setting up of their project. However, under the existing provisions of the Act of 1973 the State Government can grant exemption only in respect of industrial projects. It is not possible for the State Government to grant exemption for purchase

of agricultural lands in excess of the prescribed ceiling limits for non-industrial projects like townships, housing projects, infrastructure projects like dry ports, power plants, tourism units (hotels & resorts), public utilities etc. which are necessary from the viewpoint of the economic development of the State. It is, therefore, proposed to make an amendment in section 17 to provide for one-time exemption in respect of such lands. It is, therefore, proposed that an amendment may be made in section 17 for empowering the State Government to grant permission in individual cases for permitting purchase of agricultural land in excess of the ceiling limits for the purpose of setting up various types of projects.

Problems are also being faced by those persons who have, in the absence of knowledge of the provisions of the above-mentioned Act of 1973, already purchased agricultural land in excess of the prescribed ceiling limits with the intention of getting the land converted for non-agricultural use. Under the existing provisions of the Act of 1973 it is not possible for the State Government to grant exemption in respect of such agricultural lands which have already been purchased in excess of the prescribed ceiling limits for non-agricultural use. It is, therefore, proposed to make an amendment in section 17 to provide for one-time exemption in respect of such lands.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी,

Minister Incharge.

Bill No. 15 of 2010

THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

further to amend the Rajasthan Imposition Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973.

_____

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

H. R. KURI,
Secretary.

(HEMA RAM CHAUDHARY, **Minister-Incharge**)

2010 का विधेयक सं. 15

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(हेमाराम चौधरी, **प्रभारी मंत्री**)